राजस्थान सरकार

कृषि निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.2(3)(ब)(3702–IV)नि.कृ./ 1274 दिनांक : 29-5-2013

विज्ञप्ति

1. राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 यथा संशोधित में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग के अधीन कृषि पर्यवेक्षक के कुल 2224 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की लिखित **परीक्षा 2013–14** आयोजित कर प्राप्तांकों की वरियता के आधार पर नियुक्ति हेतु निर्धारित **ऑनलाइन आवेदन पत्र** (On-line Application Form) आमंत्रित किए जाते है।

विशेष नोट :

(1) परीक्षा संबंधित सभी सूचनायें महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर की वेबसाईट www.mpuat.ac.in के लिंक www.rcaudaipur.com पर उपलब्ध होंगी। **अतः इसे नियमित देखना आवश्यक है।**

(2) आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा का प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश पत्र जारी भी कर दिया जाता है तो गलत या अपूर्ण सूचना भरने के कारण किसी भी समय उसका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

(3) आरक्षण की स्थिति राज्य सरकार के वर्तमान नियम/निर्देशानुसार है जोकि नियम/निर्देशों के अधीन परिवर्तनीय होगी।

2. **आवेदन प्रक्रिया :** On-line Application Form महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर की वेबसाईट www.mpuat.ac.in पर उपलब्ध लिंक www.rcaudaipur.com के माध्यम से भरे जायेंगे।

3. **प्रवेश–पत्र :** उक्त वेबसाईट के लिंक के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश–पत्र जारी किए जाएंगे। विश्वविद्यालय द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश–पत्र नहीं भेजा जाएगा।

4. **कुल रिक्त पदो की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या :**

पदों की स्थिति	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित पद (सामान्य वर्ग)				आरक्षित पद (राजस्थान के)																	
						अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				सहरिया आदिम जाति		पिछड़ा वर्ग				विशेष पिछड़ा वर्ग			
			महिला				महिला				महिला						महिला				महिला		
		सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता (विभिन्न विवाह)	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता (विभिन्न विवाह)	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता (विभिन्न विवाह)	सामान्य	महिला (सामान्य)	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता (विभिन्न विवाह)	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता (विभिन्न विवाह)
टीएसपी	87	-	-	-	-	6	2	-	-	56	16	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सहरिया	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-
नॉन टीएसपी व नॉन सहरिया	2127	782	223	89	22	227	66	25	6	170	49	19	4	-	-	298	85	34	8	14	5	1	-
TOTAL	2224	782	223	89	22	233	68	25	6	226	65	25	5	7	3	298	85	34	8	14	5	1	0

क्षैतिज आरक्षण		
भूतपूर्व सैनिक (कुल 346 पद)	विशेष योग्यजन (कुल 72 पद)	उत्कृष्ट खिलाड़ी (कुल 44 पद)
278 + 68*	LD/CP = 23 HI = 22 + 5** B/LV = 22	44

संक्षिप्ताक्षर : LD/CP=Locomotor Disability or Cerebralpalsy, HI=Hearing Impairedment & B/LV=Blindness or Low Vision.

* भर्ती वर्ष 2011–12 के भूतपूर्व सैनिक वर्ग में बैकलॉग के 68 पद सम्मिलित है।

** भर्ती वर्ष 2011–12 के विशेष योग्यजन वर्ग में बैकलॉग के 5 पद सम्मिलित है।

- उपरोक्त पद अस्थाई है तथा स्थाई होने की सम्भावना है।
- विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है।

नोट :

(1) राजस्थान के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए दर्शाये गये सभी आरक्षित पद, जो कि दि0 10.10.2002 के पश्चात् के है, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर इन पदों को किन्ही भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नही भरा जावेगा और इन आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जायेगा, जब तक यथा स्थिति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नही हो जाते।

(2) राज्य सरकार की अधिसूचना दि0 12.09.2007 के अनुसार दर्शाये गये अनुसूचित क्षेत्रों (TSP Area) के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पद अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के स्थानीय सदस्यों से भरे जायेगें। इन पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी नही मिलने की स्थिति में राज्य सरकार की अधिसूचना दि0 10.10.2002 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जायेगा जब तक यथा स्थिति अनुसूचित क्षेत्र के अ.जा/अ.ज.जा. के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नही हो जाते।

(3) कार्मिक (क–2) विभाग के निर्देश क्रमांक प.13(20)कार्मिक/क–2/91पार्ट दि0 21.05.2013 के अनुसार दर्शाये गये सहरिया आदिम जाति हेतु आरक्षित पद बारां जिले में निवासित स्थानीय सदस्यों से भरे जायेगें। इन पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी नही मिलने की स्थिति में राज्य सरकार की अधिसूचना दि0 10.10.2002 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जायेगा जब तक यथा स्थिति सहरिया आदिम जाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नही हो जाते।

(4) राजस्थान के पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।

(5) विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए :–

(अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारो का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार उपरोक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है :–

1. Locomotor Disability or Cerebralpalsy.
2. Hearing Impairedment.
3. Blindness or Low Vision.

(ब) विशेष योग्यजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे, **उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।**

(स) विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो तो राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारो का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 38 (4) के अनुसार ऐसी रिक्ति को आगामी वर्ष में अग्रणीत किया जाएगा।

(द) विशेष योग्यजन आवेदक On line Application Form में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

(य) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारो का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी **राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड** द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारो का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण–पत्र जो **40 प्रतिशत या इससे अधिक** निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

(6) महिलाओं हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Category wise) है। **महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में, जिसकी वह महिला अभ्यर्थी है, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।**

स्पष्टीकरण :– किसी वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग का नॉन क्रिमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण–पत्र मान्य नही होगा।**

(7) महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाये गये पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत पद परित्यक्ता महिलाओं के लिए आरक्षित है। किसी वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा एवं परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(8) भूतपूर्व सैनिकों के लिए दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग) का होगा, उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा। भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों हेतु आवेदन करने वाले आवेदक को आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवा निवृत्त हो जाना आवश्यक है, अन्यथा लाभ देय नही होगा। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों का लाभ देय नही होगा।

(9) उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण कोई आरक्षित रिक्ति बिना भरी रह जाये तो ऐसी रिक्ति को उक्त पद पर अन्य स्त्रोत से नियुक्ति किये जाने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले नियमों के अनुसार यह मानकर कि रिक्ति आरक्षित नहीं थी, भरी जायेगी, परन्तु इस प्रकार आरक्षित रिक्ति, जिसे इस प्रकार आरक्षित रखा गया हो, अगले भर्ती वर्ष तक अग्रनीत की जायेगी, तदुपरान्त प्रश्नास्पद रिक्ति अनारक्षित मानी जायेगी।

(10) कार्मिक (क–ग्रुप–II) विभाग की अधिसूचना एफ.5(31)डीओपी/ए–II/84 दि0 15.03.2013 के प्रावधान अनुसार उत्कृष्ट खिलाडियों के लिए दर्शाये गये आरक्षित 2 प्रतिशत पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग) का होगा, उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा, जिससे वे खिलाडी संबंधित है। इस आरक्षित पद हेतु पात्र और उपयुक्त खिलाडियों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और ऐसी रिक्तियां पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण :– "उत्कृष्ट खिलाडियों" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाडी जिन्होंने– "(i) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यताप्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो, **या** (ii) इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यताप्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम

का प्रतिनिधित्व किया हो, **या** (iii) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यताप्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, **या** (iv) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।"

5. **शैक्षणिक योग्यता** : दिनांक **15.07.2013** तक निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता होना अनिवार्य है :–

"भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. (कृषि) **या** बी.एस.सी. (कृषि–उद्यान) आनर्स **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक **या** पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक"।

स्पष्टीकरण :– बी.एस.सी. (कृषि) **या** बी.एस.सी. (कृषि–उद्यान) आनर्स **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक **या** पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक की शैक्षणिक योग्यता नहीं होने की दशा में एम.एस.सी. (कृषि) या एम.एस.सी. (उद्यान) के डिग्रीधारी तथा सीनियर सैकेण्डरी (व्यावसायिक) वाले अभ्यर्थी उक्त पद के लिए पात्र नहीं होगें।

6. **आयु :**

आवेदक 1 जनवरी, 2014 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नही हुआ हो।

परन्तुक–इस पद को विभाग द्वारा वर्ष 2011 में विज्ञापित किया गया था जिसके तहत आयु की गणना दिनांक 01.01.2012 को की गई थी। तत्पश्चात् इस पद का कोई विज्ञापन विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7/6/कार्मिक/ए–**II** /2008 दि0 23.09.2008 के प्रावधान अनुसार जो अभ्यर्थी दि0 01.01.2014 को अधिकायु के होते है, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देय होगी।

(1) ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में –

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया आदिम जाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के स्थाई निवासी है, के मामले में **5 वर्ष की छूट दी जाएगी।**

(ख) सामान्य वर्ग की महिला आवेदको के मामले में **5 वर्ष की छूट दी जाएगी।**

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया आदिम जाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की स्थाई निवासी है, के मामले में **10 वर्ष की छूट दी जाएगी।**

(2) उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धी के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी।

(3) उपर्युक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धी से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था।

(4) पंचायत समितियों और जिला परिषदों के कारोबार में अधिष्ठायी (Substantive) रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(5) राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में अधिष्ठायी (Substantive) हैसियत से कार्य कर रहे व्यक्तियों की उपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(6) राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(7) रिजर्विस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। भूतपूर्व सेना कार्मिकों हेतु अधीनस्थ सेवा के आरक्षित पदों के सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए परन्तु सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारको की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी।

(8) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे विभाग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हो और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें 2 अवसर दिये जावेंगे।

(9) एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।

(10) कीनिया, तंजानिया, उगाण्डा और जंजीवार के पूर्वी अफ्रिकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नही होगी।

(11) रिलीज्ड इमरजेन्सी कमीशन्ड आफिसर/सोर्ट सर्विस कमीशन्ड सेवा में कमीशन ग्रहण करते यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे, तो सेवा से रिहा होने के बाद विभाग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हो, पात्र समझा जावेगा।

(12) सन् 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नही होगी।

(13) विधवाओं एवं विछिन्न विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नही होगी, किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो। **स्पष्टीकरण –** विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह विछिन्न का सक्षम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(14) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारो का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार पदों के सामने विज्ञापन में दर्शाई गई श्रेणी के निःशक्त व्यक्तियों को पहले से ही सेवा नियमों में विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय होगी :–

(क) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष।

(ख) पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 13 वर्ष और

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 15 वर्ष की छूट दी जावेगी।

नोट : उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 1 से 14 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त पैरा 1 से 14 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोडकर छूट का लाभ नही दिया जाएगा।

7. **वेतनमान :**

रनिंग पे बेण्ड–1 (5200–20200) ग्रेड पे संख्या 6 (रू0 1900/–)

"ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किए जा रहे पद का कर्त्तव्यभार स्वीकार करता है, परीवीक्षा की कालावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान संबंधी भर्ती नियमों में उल्लेखित परीवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा।"

अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नही।

कार्य : कृषि विस्तार एवं कृषि उत्पादन से संबंधित समस्त कार्य।

परीवीक्षा काल (प्रोबेशन)/प्रशिक्षण/अन्य सुविधाऐं : नियमानुसार।

मुख्यालय : राजस्थान में कहीं पर भी।

पेंशन : दिनांक 01.01.2004 से भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

8. **आवेदन की अन्तिम दिनांक :** On-line Application Form दि0 01.06.2013 से 15.07.2013 सायं 5.00 बजे तक उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगा। इसके उपरांत आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑन–लाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑन–लाइन आवेदन करें।

9. **परीक्षा का माह एवं दिनांक** : लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र माह अगस्त, 2013 में विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध कराने की सम्भावना है। लिखित परीक्षा माह सितम्बर, 2013 में आयोजित होने की सम्भावना है। परीक्षा केन्द्र व परीक्षा समय में परिवर्तन की जानकारी समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध करा दी जायेगी। परीक्षा कार्यक्रम को राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय संशोधित/स्थगित/रद्द किया जा सकता है।

10. **परीक्षा शुल्क** : आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क वेबसाईट पर उपलब्ध निर्देशानुसार जमा करावें :–

(क) सामान्य वर्ग व क्रिमीलेयर श्रेणी के पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के आवेदक हेतु रू0 350/–

(ख) राजस्थान के नॉन क्रिमीलेयर श्रेणी के पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के आवेदक हेतु रू0 250/–

(ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदक हेतु रू0 150/–

नोट :

(1) टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं बारां जिले (राजस्थान) के सहरिया आदिम जाति हेतु भी परीक्षा शुल्क रूपये 150/– होगा।

(2) राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया आदिम जाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।

11. **परीक्षा योजना :** वैकल्पिक प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम के तीनों भागों से प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र का अधिकतम पूर्णांक 400 होगा। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रश्न पत्र की अवधि दो घण्टे होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जायेगा। पाठ्यक्रम के प्रत्येक भाग से प्रश्नो कि संख्या निम्न प्रकार होगी, किन्तु इनका क्रम मे होना आवश्यक नही होगा।

प्रश्न पत्र का भाग	विषय का नाम	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
भाग I	सामान्य हिन्दी	15	60
भाग II	राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति	25	100
भाग III	शस्य विज्ञान, उद्यानिकी व पशुपालन	60	240

12. **आवेदन करने संबंधी निर्देश :** अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट : राजस्थान के पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) के आवेदक अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत माने जायेंगे। अतः अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी के रूप में ही आवेदन करें।

13. **अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में :**

सभी आवेदक चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हो या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हो या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, को अपने आवेदन पत्र ऑनलाइन ही भरने है तथा उन्हें अपने नियोक्ता से इस परीक्षा के लिए आवेदन

पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए तथा उक्त स्वीकृति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करें अन्यथा वांछित स्वीकृति के अभाव में आवेदक का आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा।

14. नियुक्ति के लिए अयोग्यता :

(1) किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी 1 से अधिक जीवित पत्नी हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, तो मूल दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत करें।

(2) किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को, जिसने उस पुरूष से विवाह किया है, जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नही माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, तो मूल दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत करें।

(3) ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा। परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नही समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नही होती। इस आशय हेतु मूल दस्तावेजो के साथ शपथ पत्र देना होगा। परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहां बच्चो की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जावेगा। परन्तु यह भी की किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान थी, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निशक्त हो, गणना नही की जायेगी।

(4) शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह–13/2006 दि0 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र या यदि आवेदक अविवाहित है तो इस आशय का शपथ पत्र मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(5) किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नही माना जावेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो।
स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन हेतु 'दहेज' से यही तात्पर्य होगा, जो दहेज प्रतिषेद अधिनियम, 1961 में दिया गया है। (1961 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28)

(6) राज0 लोकसेवा आयोग/अन्य विभागों/बोर्ड/निगम द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किए गए ऐसे आवेदक, जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नही हुई है, इस पद/परीक्षा हेतु आवेदन नही करें।

15. अनुचित साधनों की रोकथाम :

परीक्षार्थी को विभाग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिए गए निर्देशों अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे, कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

16. श्रुतलेखक की सुविधा :

सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। केवल राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारो का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 में वर्णित नेत्रहीन व ऐसे निःशक्त व्यक्ति, जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ है, उन्हें श्रुतलेखक की सुविधा हेतु अंकित करना अनिवार्य होगा। श्रुतलेखक को वीक्षक, केन्द्राधीक्षक व अभ्यर्थी को महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर जारी निर्देशानुसार ही कार्य करना होगा।

17. कृपया ध्यान दें :

अ – आवेदन पत्र मात्र ऑनलाइन ही भरे जा सकेंगे, जिसे अंतिम दिनांक के पश्चात् बन्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्ते पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में आवेदन किसी भी स्तर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा On-line Application Form में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अस्थाई प्रवेश पत्र दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

ब – आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि On-line Application Form भरने से पूर्व विभाग द्वारा जारी विज्ञापन एवं On-line Application Form भरने के निर्देशों के साथ–साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।

स – On-line Application Form में भरी गई सूचनाओ के आधार पर ही महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा आवेदक की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जायेगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका On-line Application Form अस्वीकृत कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। **On-line Application Form में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नही दी जायेगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जायेगा।**

द – परीक्षा के उपरांत प्राप्त अंको की वरियता के आधार पर प्रत्येक वर्ग के अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के 1 : 1½ के अनुपात में मूल दस्तावेजों की जांच के लिए कृषि विभाग की वेबसाईट **(http://www.krishi.rajasthan.gov.in)** पर सूचना प्रकाशित कर बुलाये जायेंगे। इन्ही उम्मीदवारों में से परीक्षा के प्राप्तांको की वरियता के आधार पर विज्ञापित पदों के अनुरूप नियमानुसार वर्गवार चयन सूची तैयार की जायेगी।

18. प्रमाण पत्रों का सत्यापन :

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/निःशक्तजन/उत्कृष्ट खिलाडी/विधवा/परित्यक्ता) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगा। इसके प्रमाण में आवेदक को प्रमाण पत्र/दस्तावेज, आवेदन पत्र के साथ, बुलाने पर लाना है। अतः यह सुनिश्चित करले कि :

(अ) मूल दस्तावेजों की जांच, प्रत्येक श्रेणी में प्राप्त अंकों की वरियता के आधार पर 1 : 1½ के अनुपात में ही की जावेगी।

(ब) सभी प्रमाण पत्र **On-line Application Form** भरने की अन्तिम दिनांक तक जारी किये हुए होने चाहिए। सभी प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किये हुए होने चाहिए।

(स) पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र में निवास स्थान एवं क्रिमीलेयर/नॉन क्रिमीलेयर की प्रविष्टियां सही–सही एवं पूर्ण भरी होने चाहिए।

(द) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया आदिम जाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/निःशक्तजन/उत्कृष्ट खिलाडी/विधवा/परित्यक्ता का प्रमाण पत्र/दस्तावेज On-line Application Form भरने की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण पत्र/दस्तावेज के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पद हेतु देय नही होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायेगा।

(य) राजस्थान राज्य के पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के क्रिमीलेयर के अभ्यार्थियों को आरक्षण का लाभ देय नही है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को On-line Application Form में अनारक्षित श्रेणी के रूप में आवेदन करना होगा।

(र) पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र, नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दि0 01.01.2013 के पश्चात् जारी किया हुआ होना चाहिए। पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित प्रमाण पत्र के अभाव में ऐसे आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा। **पति की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।**

(ल) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नही होगा। **पति के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।**

(व) निःशक्तजन को राजस्थान राज्य के किसी **राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड** द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण–पत्र, जिसमें निःशक्तजन की चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो, जारी किया हुआ होना चाहिए।

नोट : आवेदकों को परीक्षा में अन्तरिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जावेगा। परीक्षा प्रवेश पत्र जारी करने से यह मतलब नही है कि विभाग द्वारा उसकी अभ्यर्थिता (candidature) अन्तिम रूप से सही मानली गई है। अभ्यर्थी की पात्रता की जांच मूल प्रलेखों से की जायेगी। जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया आदिम जाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/निःशक्तजन/उत्कृष्ट खिलाडी/विधवा/परित्यक्ता एवं अन्य शर्तो आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस पद हेतु उसकी अभ्यर्थिता (candidature) किसी भी स्तर पर रद्द करदी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी उसकी, स्वयं की होगी।

19. विशेष टिप्पणी :

(1) परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के संबंध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात् 48 घंटे में (2 दिवस के भीतर) अपना लिखित अभ्यावेदन **महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर** को प्रस्तुत कर दे। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी। 2 दिवस के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर किसी भी प्रकार का विचार नही किया जायेगा।

(2) कोई भी परीक्षार्थी कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन/पर्स इत्यादि लेकर नही आएं। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक जैसे पैन, पेन्सिल, प्रवेश पत्र या महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा निर्देशित सामग्री ही कक्ष में लेजा सकता है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जप्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक की नही होगी।

(3) जिस परिसर के भीतर भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नही है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित उम्मीदवार/आवेदक के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

(4) अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे भर्ती परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स/केलकुलेटर सहित प्रतिबन्धित वस्तुएं साथ नही लावें क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नही की जा सकती।

(5) इन पदों पर भर्ती से संबंधित समस्त सूचनाऐं कृषि विभाग/विश्वविद्यालय की वेबसाईट के माध्यम से ही उपलब्ध कराई जावेगी।

(6) परीक्षा संबंधी अन्य किसी भी जानकारी के लिए आवेदक **महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर** में व्यक्तिगत रूप से अथवा हेल्प लाईन नं0 0294--5150711, 5150712 या 5150713 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(अनिल कुमार चपलोत)
निदेशक कृषि
राज0 जयपुर

राजस्थान सरकार

कृषि निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

कृषि पर्यवेक्षक भर्ती हेतु परीक्षा 2013–14 का पाठ्यक्रम

(कुल पूर्णांक 400)

भाग – I (पूर्णांक 60)

प्रश्नों की संख्या : 15

सामान्य हिन्दी

1. दिये गये शब्दों की संधि एवं शब्दों का संधि–विच्छेद।
2. उपसर्ग एवं प्रत्यय–इनके संयोग से शब्द – संरचना तथा शब्दों से उपसर्ग एवं प्रत्यय को पृथक् करना, इनकी पहचान।
3. समस्त (सामासिक) पद् की रचना करना, समस्त (सामासिक) पद का विग्रह करना।
4. शब्द युग्मो का अर्थ भेद।
5. पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द।
6. शब्द शुद्धि – दिये गये अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना।
7. वाक्य शुद्धि – वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोडकर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरणिक अशुद्धियों का शुद्धिकरण।
8. वाक्यांश के लिये एक उपयुक्त शब्द।
9. पारिभाषिक शब्दावली – प्रशासन से सम्बन्धित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिन्दी शब्द।
10. मुहावरे – वाक्यों में केवल सार्थक प्रयोग अपेक्षित है।
11. लोकोक्ति – वाक्यों में केवल सार्थक प्रयोग अपेक्षित है।

भाग – II (पूर्णांक 100)

प्रश्नों की संख्या : 25

राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति

1. राजस्थान की भौगोलिक संरचना – भौगोलिक विभाजन, जलवायु, प्रमुख पर्वत, नदियां, मरूस्थल एवं फसलें।
2. राजस्थान का इतिहास – **सभ्यताएं** – कालीबंगा एवं आहड़

   प्रमुख व्यक्तित्व – महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव जोधा, राव मालदेव, महाराजा जसवंतसिंह, वीर दुर्गादास, जयपुर के महाराजा मानसिंह–प्रथम, सवाई जयसिंह, बीकानेर के महाराजा गंगासिंह इत्यादि।

   राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, लोक कलाकार, संगीतकार, गायक कलाकार, खेल एवं खिलाडी इत्यादि।
3. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान एवं राजस्थान का एकीकरण।
4. विभिन्न राजस्थानी बोलियां, कृषि, पशुपालन क्रियाओं की राजस्थानी शब्दावली।
5. कृषि, पशुपालन एवं व्यावसायिक शब्दावली।
6. लोक देवी–देवता – प्रमुख संत एवं सम्प्रदाय।
7. प्रमुख लोक पर्व, त्योहार, मेले – पशुमेले।
8. राजस्थानी लोक कथा, लोक गीत एवं नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड, लोक नाट्य, लोक वाद्य एवं कठपुतली कला।
9. विभिन्न जातियां – जन जातियां।
10. स्त्री – पुरूषों के वस्त्र एवं आभूषण।
11. चित्रकारी एवं हस्तशिल्पकला – चित्रकला की विभिन्न शैलियां, भित्ति चित्र, प्रस्तर शिल्प, काष्ठ कला, मृदमाण्ड (मिट्टी) कला, उस्ता कला, हस्त औजार, नमदे–गलीचे आदि।
12. स्थापत्य – दुर्ग, महल, हवेलियां, छतरियां, बावडियां, तालाब, मंदिर–मस्जिद आदि।
13. संस्कार एवं रीति रिवाज।
14. धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल।

भाग – III (पूर्णांक 240)

प्रश्नों की संख्या : 60

(1) शस्य विज्ञान

राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कृषि एवं कृषि सांख्यिकी का सामान्य ज्ञान। राज्य में कृषि, उद्यानिकी एवं पशुधन का परिदृश्य एवं महत्व। राजस्थान की कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादन में मुख्य बाधाऐं। राजस्थान के जलवायुवीय खण्ड, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। क्षारीय एवं उसर भूमियां, अम्लीय भूमि एवं इनका प्रबन्धन।

राजस्थान में मृदाओं का प्रकार, मृदा क्षरण, जल एवं मृदा संरक्षण के तरीके, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उपलब्धता एवं स्त्रोत, राजस्थानी भाषा में परम्परागत शस्य क्रियाओं की शब्दावली। जीवांश खादों का महत्व, प्रकार एवं बनाने की विधियां तथा नत्रजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरक, एकल, मिश्रित एवं योगिक उर्वरक एवं उनके प्रयोग की विधियां। फसलोत्पादन में सिंचाई का महत्व, सिंचाई के स्त्रोत, फसलों की जल मांग एवं प्रभावित करने वाले कारक। सिंचाई की विधियां – विशेषतः फव्वारा, बून्द–बून्द, रेनगन आदि। सिंचाई की आवश्यकता, समय एवं मात्रा। जल निकास एवं इसका महत्व, जल निकास की विधियां। राजस्थान के संदर्भ में परम्परागत सिंचाई से संबंधित शब्दावली। मृदा परीक्षण एवं समस्याग्रस्त मृदाओं का सुधार। साईजेल, हे–मेकिंग।

खरपतवार – विशेषताऐं, वर्गीकरण, खरपतवारों से नुकसान, खरपतवार नियंत्रण की विधियां, राजस्थान की मुख्य फसलों में खरपतवारनाशी रसायनों से खरपतवार नियंत्रण। खरतपवारों की राजस्थानी भाषा में शब्दावली।

निम्न मुख्य फसलो के लिए जलवायु, मृदा, खेत की तैयारी, किस्में, बीज उपचार, बीज दर, बुवाई समय, उर्वरक, सिंचाई, अन्तराशस्यन, पौध संरक्षण, कटाई–मढाई, भण्डारण एवं फसल चक्र की जानकारी –

अनाज वाली फसले – मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं एवं जौ।

दाले – मूंग, चॅवला, मसूर, उडद, मोठ, चना एवं मटर।

तिलहनी फसले – मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों, अलसी, अरण्डी, सूरजमुखी एवं तारामीरा।

रेशेदार फसले – कपास।

चारे वाली फसले – बरसीम, रिजका एवं जई।

मसाले वाली फसले – सौंफ, मैथी, जीरा एवं धनिया।

नकदी फसले – ग्वार एवं गन्ना।

उत्तम बीज के गुण, बीज अंकुरण एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक, बीज वर्गीकरण, मूल केन्द्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज।

शुष्क खेती – महत्व, शुष्क खेती की तकनीकी। मिश्रित फसल, इसके प्रकार एवं महत्व। फसल चक्र – महत्व एवं सिद्धान्त। राजस्थान के संदर्भ में कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी। अनाज एवं बीज का भण्डारण।

(2) उद्यानिकी

उद्यानिकी फलों एवं सब्जियों का महत्व, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य। फलदार पौधों की नर्सरी प्रबन्धन। पादप प्रवर्धन, पौध रोपण। फलोद्यान के स्थान का चुनाव एवं योजना। उद्यान लगाने की विभिन्न रेखांकन विधियां। पाला, लू एवं अफलन जैसी मौसम की विपरीत परिस्थितियां एवं इनका समाधान। फलोद्यान में विभिन्न पादप वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग। सब्जी उत्पादन की विधियां एवं सब्जी उत्पादन में नर्सरी प्रबन्धन।

राजस्थान में जलवायु, मृदा, उन्नत किस्में, प्रवर्धन विधियां, जीवांश खाद व उर्वरक, सिंचाई, कटाई, उपज, प्रमुख कीट एवं बीमारियां एवं इनका नियंत्रण सहित निम्न उद्यानिकी फसलों की जानकारी – आम, नीम्बू वर्गीय फल, अमरूद, अनार, पपीता, बेर, खजूर, आंवला, अंगूर, लहसूवा, बील, टमाटर, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिण्डी, कद्दू वर्गीय सब्जियां, बैंगन, मिर्च, लहसून, मटर, गाजर, मूली, पालक। फल एवं सब्जी परीरक्षण का महत्व, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य, फल परीरक्षण के सिद्धान्त एवं विधियां। डिब्बाबन्दी, सुखाना एवं निर्जलीकरण की तकनीक व राजस्थान में इनकी परम्परागत विधियां। फलपाक (जैम), अवलेह (जेली), केन्डी, शर्बत, पानक (स्क्वेश) आदि को बनाने की विधियां।

औषधीय पौधों व फूलों की खेती का राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान। राजस्थान के संदर्भ में उद्यान विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं।

(3) पशुपालन

पशुपालन का कृषि में महत्व। पशुधन का दूध उत्पादन में महत्व एवं प्रबन्धन। निम्न पशुधन नस्लो की विशेषताऐं, उपयोगिता व उत्पति स्थान का सामान्य ज्ञान :–

गाय – गीर, थारपारकर, नागौरी, राठी, जर्सी, होलिस्टन फ्रिजीयन, मालवी, हरियाणा, मेवाती।

भैंस – मुर्रा, सूरती, नीली रावी, भदावरी, जाफरवादी, मेहसाना।
बकरी – जमनापारी, बारबरी, बीटल, टोगनबर्ग।
भेड़ – मारवाडी, चोकला, मालपुरा, मेरीनो, कराकुल, जैसलमेरी, अविवस्त्र, अविकालीन।
ऊंट प्रबन्धन, पशुओं की आयु गणना।
सामान्य पशु औषधियों के प्रकार, उपयोग, मात्रा तथा दवाईयां देने का तरीका।
जीवाणुरोधक – फिनाईल, कार्बोलिक एसिड, पोटेशियम परमेगनेट (लाल दवा), लाईसोल
विरेचक – मेगनेशियम सल्फेट (मैकसल्फ), अरण्डी का तेल।
उत्तेजक – एल्कोहल, कपूर।
कृमिनाशक – नीला थोथा, फिनोविस।
मर्दन तेल – तारपीन का तेल।

राजस्थान के पशुओं की मुख्य बीमारियों के कारक, लक्षण तथा उपचार – पशु–प्लेग, खुरपका–मुंहपका, लगड़ी, एन्थ्रेक्स, गलघोटूं, थनेला रोग, दुग्ध बुखार, रानीखेत, मुर्गियों की चेचक, मुर्गियों की खूनीपेचिस।

दुग्ध उत्पादन, दुग्ध एवं खीस संघटन, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, दुग्ध परिरक्षण, दुग्ध परीक्षण एवं गुणवत्ता। दुग्ध में वसा को ज्ञात करना, आपेक्षित घनत्व, अम्लता तथा क्रीम पृथक्करण की विधि तथा यंत्रों की आवश्यकता एवं दही, पनीर व घी बनाने की विधि। दुग्धशाला के बरतनों की सफाई एवं जीवाणु रहित करना। राजस्थान के संदर्भ में पशुपालन क्रियाओं एवं गतिविधियों से संबंधित शब्दावली।

<u>प्रश्न पत्र का पेटर्न</u>

1. वैकल्पिक प्रकार का प्रश्न पत्र होगा।
2. अधिकतम पूर्णांक 400 अंक होगा।
3. प्रश्नों की संख्या 100 होगी, जिसमें कोई भी प्रश्न किसी भी भाग से हो सकता है।
4. प्रश्न पत्र की अवधि 2 घन्टे होगी।
5. प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक होगें।
6. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जायेगा।

(अनिल कुमार चपलोत)
निदेशक कृषि
राज0 जयपुर